(253)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

408
31-7-13

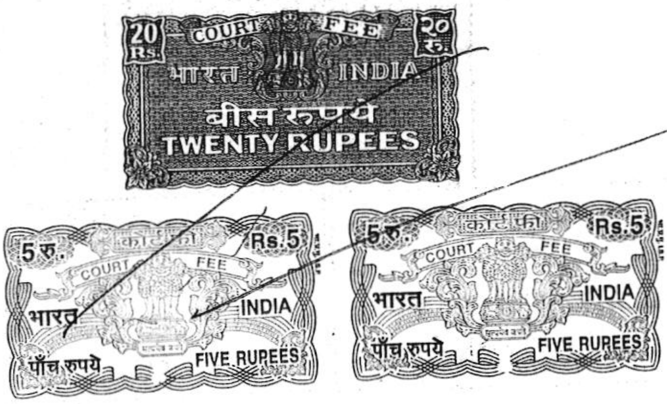

C.F. 30/-

R. 3946-II/13

श्रवण कुमार सिंह तनय स्व0 श्री बद्री सिंह चौहान उम्र 41 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम करौंदिया दक्षिण टोला तहसील गोपद बनास जिला सिधी (म0प्र0) -----आवेदक/निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री के.डी. सिंह
द्वारा प्रस्तुत।
रीवा, दि. 31.7.13

बनाम

1. श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री प्रमोद सिंह चौहान उम्र 20 वर्ष,
2. आशीष सिंह तनय मकरध्वज सिंह उम्र 24 वर्ष,
3. फन्नेलाल सिंह उर्फ शिवबहादुर सिंह तनय श्री विन्ध्या सिंह चौहान उम्र 50 वर्ष पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम करौंदिया दक्षिण टोला तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0) --------- अनावेदकगण

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

22-8-13

निगरानी याचिका विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान् अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक-766/अपील /12-13 में पारित आदेश दिनांक 29-6-2013 जिसके द्वारा रेस्पा0 क्रमांक-1 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील अवैधानिक तरीके से स्वीकार की जाकर आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील प्र0क्र0-214/अपील /1012-13 में पारित आदेश दिनांक 15-4-13 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार महोदय गोपद बनास के वैध आदेश जो प्रकरण क्रमांक-97/अ-6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 24-7-12 को यथावत रखे जाने का आदेश दिया गया है।

Typed under my instruction in my office
31-7-13
(Tej Bahadur Singh)
Adv.

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959,

मान्यवर,

प्रकरण संक्षेप में निम्नांकित है :--

(अ) यह कि अनावेदिका क्रमांक-1 के पक्ष में अनावेदक क्रमांक-2 ने षडयंत्र पूर्वक भूमि खसरा क्रमांक-442/1/मिन-1 रकबा 0.602 हे0 में से 27x108 = 2916 वर्गफिट के विक्री विलेख का पंजीयन अवैध तरीके से सही तथ्यों को छुपाते हुए कराया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कोई सिविल वाद विचाराधीन नहीं है, जबकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में रेस्पा0 क्रमांक-2 के पिता मकरध्वज सिंह द्वारा उक्त आवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवेदक के पिता बद्री सिंह के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था उक्त सिविल वाद क्रमांक 36ए/2006 में प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0 दी0 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग-1 सीधी द्वारा दिनांक 6-9-2007 को निरस्त कर दिया गया है, उक्त सिविल वाद द्वितीय सिविल जज महोदय वर्ग-1 के न्यायालय में अन्तरित होकर वर्तमान में विचाराधीन है।

(ब) यह कि आवेदक के पिता बद्री सिंह द्वारा उक्त आवेदित भूमि सहित अन्य भूमियों के संबंध में सिविल वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनावेदक क्रमांक-2 के पिता मकरध्वज सिंह तथा फन्नेलाल सिंह एवं फन्नेलाल सिंह की माँ मु0 जियनी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था जो वर्तमान में चतुर्थ सिविल जज महोदय वर्ग-2 सीधी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें स्वत्व का निराकरण होना है।

(स) यह कि अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा अनावेदक क्रमांक-1 के पक्ष में निष्पादित कथित पंजीकृत विक्री विलेख को अवैध एवं शून्य घोषित किए जाने की सहायता चाही गयी है उक्त सिविल वाद के लम्बनकाल में कथित विक्री विलेख निष्पादित कराया गया है जिसमें संशोधन के

R. 3246-II/13 - [illegible]

23.8.17	पेशी 1- आवेदक श्रवण कुमार सिंह स्वतः उपस्थित। 2- अनावेदक क्रमांक-1 की ओर से श्री अरविन्द पाण्डेय एड. उप.। 3- आवेदक तथा अनावेदक क्रमांक-1 के आवेदन के आधार पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया है कि पक्षकारो के मध्य आपसी समझौता हो गया है जिसे अब आगे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रकरण नस्ती करके समाप्त किया जावे। चूंकि आवेदक द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। 4- आदेश की प्रति के साथ अधी. न्याया. का रिकार्ड वापस किया जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा. द. हो। सदस्य	प्रकरण समाप्त किया जाए [illegible]

ज्ञा.ग्रे.पु.ग्वा.—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.